संख्या- 97 /2017 /2904/24-1-17-975(उदय)/2016

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2017**

विषय:-उदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में डिस्काम्स की परिचालकीय हानियों के वित्त पोषण हेतु राजस्व अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1225/ मु0म0प्र(वित्त)/विप्र-2/299/आय-व्ययक/2017-18, दिनांक 15.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में "अनुदान संख्या- 09-ऊर्जा विभाग" के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2801-बिजली-05 संचरण तथा वितरण-800-अन्य व्यय- 17-विद्युत वितरण कम्पनियों के आपरेशनल लॉस (2014-15 तक) की फण्डिग हेतु (रूपये 4000 करोड) के मूलधन की अदायगी की यू0पी0पी0सी0एल0 को प्रतिपूर्ति- 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रूपये 588,23,53,000/- (रूपये पॉच सौ अट्ठासी करोड़ तेईस लाख तिरपन हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 409,93,00,000/- (रूपये चार सौ नौ करोड तिरान्नबें लाख मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2801- बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800-अन्य व्यय- 04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान- 27- सब्सिडी" में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत रूपये 409,93,00,000/- (रूपये चार सौ नौ करोड तिरान्नबें लाख मात्र) का लेखांकन डिस्काम्स के लेखों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुई हानि की राशि के वित्त पोषण (वर्ष 2016-17 में अनुमानित हानि रूपये 8198.62 करोड़ का 05 प्रतिशत) की मद में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्टेट बैंक आफ इण्डिया अशोक मार्ग शाखा लखनऊ में स्थित "UPPCL SUBSIDY RECEIPT A/C NO. 37240143962 IFSC- SBIN0003347" खाते में जमा की जायेगी।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान- 27- सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 176 /दस-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 97 /2017/2904(1)/24-1-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 संजीव भारद्वाज
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in